

फार्म संख्या 111
फर्ड अहकाम

नियम 20

लत

उपखण्डाधिकारी

मुकाम

बारा

बनाप

मुकदमा

2017-18

मि० नं०

सं०

136/12

12090/12

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता० अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/12/12	<p>रिपोर्ट दीपक डेरी मय फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जाम डेरी की तबदीदी हेतु के फिफ्ठ जारी किए जाऊ पडा 15/11/13 पेड ही</p> <p>15/11/13 फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जारी करने से पूर्व फिफ्ठ जारी किया गया है।</p> <p>19/3/13 फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जारी करने से पूर्व फिफ्ठ जारी किया गया है।</p>	<p>15/11/13 12/12 19/13 16/4/13 7/5/13 28/5 23/7 27/8 24/9 22/10 10/12 29/1/14 18/3 13/5</p>
16/4/13	<p>करीब डेरी मय फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जारी की तबदीदी के नतीजे प्राप्त करीब डेरी मय फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जारी करने से पूर्व फिफ्ठ जारी किया गया है।</p>	<p>24/6 5/8/14 16/9/14 14/10 18/11/14</p>
11/5/13	<p>करीब डेरी मय फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जारी करने से पूर्व फिफ्ठ जारी किया गया है।</p> <p>फिफ्ठ में फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जारी 28/5/13 पेड ही</p>	<p>28/5/13</p>

28/5/13
फार्म नं० 111 के फिफ्ठ जारी करने से पूर्व फिफ्ठ जारी किया गया है।

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां


उनवान

रामचन्द्र बनाम भरत कुमार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D040/12

दायरा तिथि :- 26.12.2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा - कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां उपखण्ड अधिकारी बारां</p>	